भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

वित्तीयसेवाएं वभिाग

लोक सभा

अतारांकति प्रश्नसंख्या 4633

(जसिका उत्तर23 मार्च,2018/02 चैत्र,1940 (शक) को दयिा जाना है)

एलआईसी में अनयिमतिताएं

4633. डॉ॰ उदति राजः

क्या वित्तमंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा नगिम (एलआईसी) प्रबंधन ने उप मण्डल कार्यालय पूर्व क्षेत्र(कोलकाता) की एलआईसी शाखा में 3.45 करोड़ रु॰ की कथति धोखाधड़ी/अनयिमतिताओं में संलप्ति दोषी स्टाफ और अधकिारयिों के वरिुद्ध कोई कार्यवाहीनहीं की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या एलआईसी ने ग्राहकों को राशि लौटा दी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एलआईसी द्वारा अब तक दोषी अधकिारयिों के वरिुद्ध कोई दण्डात्मककार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाईकिए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्तमंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीशवि प्रताप शुक्ल)

(क) से (घ): भारतीय जीवन बीमा नगिम (एलआईसी) ने यह सूचति कयिा है कि 71 कर्मचारयिों एवं एजेंटों के वरिुद्ध सतर्कता मामला दर्ज कयिा गया था। एक अधकिारी जो मुख्य अपराधी था, उन्हें सेवा से हटा दयिा गया था। 44 अधकिारयिों और कर्मचारयिों पर अपने कर्तव्यका नरि्वहनकरने में लापरवाही के लिए अलग-अलग प्रकारके दण्ड लगाए गए थे। एलआईसी के 15 कर्मचारयिों/अधकिारयिों के वरिुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु की गई है। कोलकाता उच्च न्यायालय में मुख्य अपराधी के वरिुद्ध 3.63 करोड़ रुपए के लिए धन का वाद सीएस 182/2016/दनिांक 28.07.2016 दायर कयिा गया था।

एलआईसी के वभिन्नि खाता को नामे डालकर 3.63 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई थी और इस तरह कोई भी ग्राहकप्रभावतिनहीं हुआ था।

*****